319

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: R 019 निगरानी /भिण्ड/भू.रा./2017/3570

कमलादेवी पत्नी भू०पू० रामनाथ सिंह तोमर,
निवासिन नगर पालिका के सामने, वीरेन्द्र-नगर,
भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थिया

बिरुध्द

१- रामसिंह पुत्र हरनारायण,
२- राधाकिशन पुत्र भजने,
३- बिट्टीबाई बेवा कैलाश नारायण,
४- दुर्जन। पुत्रगण कैलाश नारायण,
५- दर्शन।
६- शोभाबाई पुत्री भजने,
७- गुड्डी देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह नरवरिया,

निवासीगण- गोपालपुरा, हाल शारदा टाकीज के पास, लश्कर रोड, भिन्ड-मध्यप्रदेश ।

---- प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि. 27-9-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-9-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

... 26996
C.F. 4-10-17

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय भिन्ड दिनांकी २३-५-१४, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ प्र०क्र० ...।१२-१३-अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील सरासर अवधि बाह्य

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3570

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	